भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1132
दिनांक 25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत भुगतान संबंधी मुद्दे

1132. श्री भजन लाल जाटवः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राजस्थान के करौली और धौलपुर जिलों में जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को सहायता राशि के भुगतान में बहुत विलंब हुआ है या कई मामलों में भुगतान ही नहीं किया गया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का इस संबंध में लाभार्थियों के लिए हेल्पलाइन या त्वरित शिकायत निवारण पोर्टल स्थापित करने का विचार है, और
(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): जैसा कि राजस्थान राज्य द्वारा सूचित किया गया है जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के अंतर्गत भुगतान लाभार्थियों के खातों में ओजेएएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है जिससे भुगतान डिजिटल, पारदर्शी और समयबद्ध होता है।

करौली और धौलपुर जिलों सहित राजस्थान राज्य में अधिकांश मामलों में स्वास्थ्य संस्थानों से महिलाओं को छुट्टी मिलने के पश्चात् भुगतान की प्रक्रिया शुरु कर दी जाती है और 10 दिन के भीतर पूरी हो जाती है। कुछ मामलों में लाभार्थियों द्वारा आवश्यक दस्तावेज (बैंक विवरण, आधार, आदि) देर से जमा करने/या तकनीकी कारणों से भुगतान करने में औसत समय से अधिक समय लग जाता है।

(ग) और (घ): जैसा कि राजस्थान सरकार द्वारा सूचित किया गया है, राज्य के पास पहले से ही "राजस्थान संपर्क पोर्टल" नामक एक शिकायत निवारण पोर्टल है, जहां कोई भी व्यक्ति "181" डायल करके अपनी क्वेरी या भुगतान संबंधी शिकायतों को दर्ज कर सकता है। यह पोर्टल जेएसवाई लाभार्थियों के लिए उनकी शिकायतों या जेएसवाई लाभों से संबंधित प्रश्नों के लिए भी उपलब्ध है।

*****